भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 67
03.02.2025 को उत्तर के लिए

लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं की मृत्यु

67. श्री ए. राजा :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल के महीनों में बंगाल की खाड़ी में विजाग तट के किनारे लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं के शवों के पहुंचने की जानकारी है;

(ख) इस मुद्दे पर समुद्री पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई चिंता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच/अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कछुओं की मृत्यु के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है, बंगाल की खाड़ी में विजाग तट के किनारे ओलिव रिडले कछुओं के शव पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि कछुओं की मौत का मुख्य कारण ट्रॉलर जाल में फंसना है। हालाँकि, मंत्रालय में ऐसे विवरण नहीं रखे जाते हैं। समुद्री कछुओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. भारत में पाई जाने वाली समुद्री कछुओं की पांच प्रजातियां नामत: ओलिव रिडले कछुआ (लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया), ग्रीन कछुआ (चेलोनिया मिडास), हॉक्स बिल कछुआ (एरेटमोचेलिस इम्ब्रिकेटा), लेदरबैक कछुआ (डर्मोचेलिस कोरियसेआ) और लॉगरहेड कछुआ (कैरेटा कैरेटा) को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

ii. मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना - 'वन्यजीव पर्यावास का विकास' के अंतर्गत समुद्री कछुओं और उनके पर्यावासों सहित वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

iii. मंत्रालय ने केन्द्र प्रायोजित योजना - 'वन्यजीव पर्यावास का विकास' के अंतर्गत गंभीर रूप से लुप्तप्राय 22 प्रजातियों की रिकवरी के लिए आरंभ किए गए विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रम में एक प्रजाति के रूप में समुद्री कछुओं को भी शामिल किया है।

iv. मंत्रालय ने वर्ष 2022 के दौरान वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन के माध्यम से भारतीय तटरक्षक बल को अधिनियम की अनुसूचियों में सूचीबद्ध समुद्री प्रजातियों, जिनमें समुद्री कछुए भी शामिल हैं, के संबंध में हुए किसी भी उल्लंघन के मामले में अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने, तलाशी लेने और हिरासत में लेने का अधिकार दिया है।

v. मंत्रालय ने भारत में समुद्री कछुओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना' आरंभ की है। यह कार्य योजना खतरों को कम करने, महत्त्वपूर्ण पर्यावासों को संरक्षित करने, वैज्ञानिक आंकड़ों का आदान-प्रदान करने, जन जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करती है और समुद्री कछुओं तथा उनके पर्यावासों के संरक्षण में भागीदार होने वाले दृष्टिकोण पर बल देती है।

vi. मंत्रालय ने समुद्री कछुओं सहित समुद्री मेगाफौना के अपने पर्यावास से भटकने और कहीं फंस जाने की स्थितियों के प्रबंधन के लिए वर्ष 2021 में 'समुद्री मेगाफौना स्ट्रैंडिंग प्रबंधन दिशानिर्देश' जारी किए हैं।

vii. कछुओं सहित समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत तटीय और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया है।

*****